राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू याचिका संख्याः— 1 / 2025

अंतर्गत

अपील संख्या :—256 / 2025

प्रहलाद सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर व अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश चन्द भारती, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.01.2025 पर पुनर्विचार करते हुये अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रार्थी / अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 256 / 2025 दिनांक 13.01.2025 को प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 23.01.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित कर तीनों अपीलों 254 / 2025 मोहन राम मेहरा, 255 / 2025 सांवरमल शर्मा एवं 256 / 2025 प्रहलाद सिंह को निम्न एकल आदेश से निस्तारित किया एवं अपीलार्थी के तथ्यों पर विचार नहीं किया। अधिकरण का पारित आदेश निम्नानुसार हैः—

> *´हम पाते है कि सभी अपीलों में अपीलार्थीगण की सेवानिवृत्ति में 6 माह से अधिक का समय शेष है। ऐसे अपीलार्थीगण की सेवानिवृत्ति सम्बन्धी दस्तावेज तैयार किये जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।*
>
> *उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम समस्त अपीलों में कोई बल नहीं पाते है। अतः तीनों अपीलें खारिज की जाती है।*

इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 254/2024 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।''

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि माननीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.01.2025 में कुछ तथ्य पर विचार होने से रह गया है, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है :–

1. अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2025 को है। अतः अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में सात माह से कम का समय ही शेष है।

2. अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिषद भरतपुर से पंचायत समिति महुआ जिला दौसा किया गया, जो अंतर जिला स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन परिलाभों की तैयारी की जानी है एवं जिला परिवर्तन होने से उसे असुविधा होगी।

अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील संख्या 256/2025 में अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.01.2025 में पुनर्विचार करते हुये अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

हमनें प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2025 को है। अतः अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में सात माह से कम का समय ही शेष है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का भरतपुर जिले से दौसा जिले में स्थानान्तरण किया गया है। पूर्व में यह तथ्य अधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया कि अपीलार्थी का अन्तर जिला स्थानान्तरण किया गया है। मात्र सेवानिवृत्ति के आधार पर बहस की गई थी। अन्य प्रकरण जिसके साथ यह अपील बंच में निर्णित की गई उसमें जिले के भीतर स्थानान्तरण के प्रकरण होने के आधार पर पूर्व में निर्णय तद्नुसार पारित किया गया था। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान कर रखा है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से

जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके सेवानैवृत्तिक परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, नामक सिविल याचिका संख्या 14577/2016 में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश प्रत्यर्थी विभाग ने बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए जारी किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 को संशोधित किया जाकर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक को अपीलार्थी की सीमा तक 09.01.2025 को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य